रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2016/आषाढ़ 27, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 145]	DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938	[N.C.T.D. No. 126

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सं. फा. डी.ई.2(8)/72/स्था0–II/2005/2521.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 7 मई 1979 की अधिसूचना संख्या फा. 2(3)/79– एस–II द्वारा अधिसूचित स्नातकोत्तर अध्यापक (शारीरिक शिक्षा) के पद के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक (शारीरिक शिक्षा) के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को स्नातकोत्तर अध्यापक (शारीरिक शिक्षा) भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	पदनाम	:	स्नातकोत्तर अध्यापक (षारीरिक षिक्षा)
2.	पदों की संख्या	:	*115* (2016) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैण्ड – 2 9300–34800/– रुपये (ग्रेड पे – 4800/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :– आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	स्वास्थ्य एवं शारीरिक षिक्षा में शारीरिक षिक्षा स्नातक (बी0पी0एड) या षारीरिक षिक्षा स्नातक (बी0पी0इ0) या विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) तथा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षण परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित स्पोर्टस में डिग्री । या बी0पी0एड डिग्री /बी0पी0एड (समेकित) 10 दिसम्बर 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षण परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2007 के अनुसार चार वर्ष की व्यवसायिक डिग्री या कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित बी0पी0एड या बी0पी0इ0 कोर्स (या इसके समकक्ष) दिनांक 13 नवम्बर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षण परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन जमा कराने की समय सीमा, अध्यापक षिक्षण कार्यक्रय की मान्यता हेतु मानदण्ड तथा मानक का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम या प्रषिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिषत अंकों सहित तीन वर्षीय कोर्स । तथा किसी राष्ट्रीय अध्यापक प्रषिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि का एम0पी0एड **टीप** :– प्रत्याषी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता षिथिलनीय है।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समावेषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	75 प्रतिषत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित 25 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैन्ड –2, 9300–34800/– रुपये ग्रेड पे –4600/–रुपये में शारीरिक षिक्षा अध्यापक (पी0ई0टी0) में से । **टीप – 1:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप–2 :** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विष्वविद्यालयों या अर्ध–सरकारी या सांविदिक या स्वायत्त संगठन के अधीन निम्नलिखित अधिकारी । क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड–2 के वेतनमान में 9300–34800 रू0 जमा ग्रेड पे 4600/–रुपये सहित नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले:– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति

			(अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। टीप – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संषोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडषन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति ;पदोन्नति हेतु:– 1. प्रधान सचिव /सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. निदेशक शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव, योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 4. अतिरिक्त निदेषक, षिक्षा (प्रषासन) – सदस्य 'ख' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति :– 1. प्रधान सचिव /सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव, योजनाद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 4. अतिरिक्त निदेषक, षिक्षा (प्रषासन) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवष्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेष से तथा उनके नाम पर,

मनविंदर सिंह, सहायक निदेषक षिक्षा (स्था.–II)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2016

F. DE. 2(8)/72/E-II/2005/2521.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959 and in supersession of recruitment rules for the post of Post Graduate Teacher (Physical Education) notified vide notification No. F. 2 (3)/79- S. II dated the 07th May, 1979 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make following recruitment rules for the post of Post

Graduate Teacher (Physical Education) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(i) These rules may be called Post Graduate Teacher (Physical Education) Recruitment Rules, 2016.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay. -** The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications -** No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing , relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	NAME OF THE POST.	:	POST GRADUATE TEACHER (PHYSICAL EDUCATION).
2.	NUMBER OF POST.	:	115* (2016) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.
3.	CLASSIFICATION.	:	GROUP 'B' NON- GAZETTED, NON-MINISTERIAL.
4.	PAY BAND AND GRADE PAY/SCALE OF PAY.	:	PB-2, RS 9300-34800/- PLUS GRADE PAY RS. 4800/-
5.	WHETHER SELECTION OR NON – SELECTION POST.	:	SELECTION.
6.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	:	NOT EXCEEDING 30 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO FIVE YEARS' IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). **NOTE** : THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE-LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA. (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGALAYA, ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADAKH DIVISION OF J&K STATE, LAHAUL &

			SPITI DISTRICT AND PANGI SUB DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).
7.	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	:	BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED) OR BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (BPE) OR BACHELOR OF SCIENCE (B.SC) IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION AND DEGREE IN SPORTS ATLEAST 55% MARKS AS PER NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (RECOGNITION NORMS AND PROCEDURE) REGULATIONS, 2009. OR AT LEAST 50% MARKS IN THE B.P.ED. DEGREE/B.P. ED (INTEGRATED) FOUR YEARS PROFESSIONAL DEGREE IN ACCORDANCE WITH THE AND NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (RECOGNITION NORMS AND PROCEDURE) REGULATIONS, 2007 NOTIFIED ON 10TH DECEMBER, 2007. OR B. P.ED. WITH AT LEAST 55% MARKS OR B. P. E COURSE (OR ITS EQUIVALENT) OF THREE YEARS DURATION WITH AT LEAST 50% MARKS IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION, THE TIME LIMIT OF SUBMISSION OF APPLICATION. DETERMINATION OF NORMS AND STANDARDS FOR RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION PROGRAMMES AND PERMISSION TO START NEW COURSE OR TRAINING) REGULATIONS, 2002 NOTIFIED ON 13TH NOVEMBER, 2002 AND M. P.ED. OF ATLEAST TWO YEARS DURATION FROM ANY NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION RECOGNISED INSTITUTION. **NOTE** : QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED.
8.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	:	AGE : NO, EUDCATIONAL QUALIFICATIONS : YES.

9.	PERIOD OF PROBATION , IF ANY.	:	TWO YEARS FOR DIRECT RECRUITS.
10.	METHOD OF RECRUITMENT : WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	:	75% BY PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT, 25% BY DIRECT RECRUITMENT.
11.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.	:	PROMOTION: FROM PHYSICAL EDUCATION TEACHER (PET) IN THE PAY BAND-2, RS.9300-34800 PLUS GRADE PAY OF RS 4600/- WITH TWO YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE. **NOTE: I WHERE JUNIORS WHO HAVE** COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. **NOTE : 2** FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1st JANUARY OF 2006/ THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE SIXTH CENTRAL PAY COMMISSION RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISION. DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT): OFFICERS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT OR STATE GOVERNMENTS OR UNION TERRITORIES OR PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS OR RECOGNIZED RESEARCH INSTITUTIONS OR UNIVERSITIES OR SEMI GOVERNMENT OR STATUTORY OR AUTONOMOUS ORGANIZATION, (A)(I) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR

			(II) WITH TWO YEARS' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN POSTS IN THE PAY BAND-2, RS. 9300-34800 PLUS GRADE PAY RS.4600 OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; AND (B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COLUMN 7. THE DEPARTMENT OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATIONS/ABSORPTION. SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. (PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANISATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC)SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS). **NOTE** : FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1ST JANUARY, 2006/THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE-REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRATION.
12.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	:	GROUP ' B' DPC (FOR PROMOTION) CONSISTING OF:- 1.PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (EDUCATION), GNCTD – CHAIRPERSON 2. DIRECTOR OF EDUCATION – MEMBER 3. ADDL. SECRETARY/JOINT SECRETARY (PLG), GNCTD - MEMBER

			4. ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (ADMN) - MEMBER GROUP 'B' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE CONSISTING OF; 1. PRINCIPAL SECRETAY/SECRETARY (EDUCATION), GNCTD - CHAIRPERSON 2. DIRECTOR OF EDUCATION - MEMBER 3. ADDL. SECRETARY/JOINT SECRETARY (PLG), GNCTD - MEMBER 4. ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (ADMN) - MEMBER.
13.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.	:	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY WHILE APPOINTING AN OFFICER ON DEPUTATION (ISTC).

By order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

MANVINDER SINGH, Assistant Director of Education (E-II)

Uploaded by Dte. Of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.